संख्या-01/2016/1088/84-डे0ई0-15-नि0-42/2005

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा संचालित जलपानगृहों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति से संबंधित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-495/सचि0स0से0(19)/2015, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप डेस्क इकाई के शासनादेश संख्या-975/84-डे0ई0-09-नि0-42/2005टी0सी0, दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना (छठा वेतनमान) का लाभ सत्कार सेवा संस्था के कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। जलपानगृहों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के प्रकरण पर विचार करते हुए वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-64/2015/वे0आ0-2-1218/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 द्वारा जलपानगृहों के विभिन्न पदों के कार्मिकों के वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण/संशोधन स्वीकार किये जाने के क्रम में संबंधित कार्मिकों के वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन को तत्काल प्रभाव अर्थात् यह शासनादेश निर्गत होने की तिथि से निम्नानुसार उच्चीकृत/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा संचालित जलपानगृहों के कर्मचारियों के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों पर उसके सम्मुख स्तम्भ-3 के अनुसार निर्धारित वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से स्तम्भ-4 के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रूपये में)	उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रूपये में)
1	2	3	4
1-	सामान्य प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/-	वेतन बैण्ड-2 एवं 4200/-
2-	प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 2400/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 2800/-
3-	सहायक प्रबन्धक	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 2400/-

http://shasanadesh.up.nic.in/so/

4-	हलवाई	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 2000/-
5-	विक्रेता/कूपन सेलर	वेतन बैण्ड-1 एवं 1800/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-
6-	सहायक हलवाई/कुक	वेतन बैण्ड-1 एवं 1800/-	वेतन बैण्ड-1 एवं 1900/-

(2) उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा संचालित जलपानगृहों के टी/काफी मेकर, बेयरर/वाश व्याय तथा स्वीपर/सफाई कर्मी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(3) उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शा0सं0-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1178/ई-7/दस-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग-7)
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
(6) उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप अनुभाग-1
(7) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/